मूल्य 10/– रु0

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

क्रमांक

केस नं0 .....

उत्तर–पुस्तिका/पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतू प्रार्थना–पत्र

विशेष निर्देश :– 1. परीक्षार्थी आवेदन–पत्र स्वयं भरें। 2. परीक्षार्थी पुनर्मूल्यांकन के परिणाम की प्रतीक्षा के बिना पूर्व घोषित परिणाम अनुसार ही भविष्य के कार्यक्रम नियोजित करे तथा आगामी परीक्षा के लिए आवेदन–पत्र भरना चाहे तो भर सकते हैं।

(क) 1. परीक्षार्थी का नाम..... (ख)

2. पिता का नाम श्री.....

3. परीक्षा का नाम.....

माध्यमिक / वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा (मुक्त विद्यालय / शैक्षिक)

4. अनुक्रमांक (अंकों में).....

अनुक्रमांक (शब्दों में).....

5. सत्र.....वर्ष.....

6. परीक्षा केन्द्र का नाम.....

7. जिला/संस्थान.....

शुल्क अदा किये.....रू.
बैंक ड्राफ्ट नं.....
बोर्ड रसीद संख्या.....
दिनांक.....
अधीक्षक(कैश)

(ग) पुनर्मूल्यांकन करवाये जाने वाले विषय : एवं सैमेस्टर :

विषय							
सैमेस्टर							
प्राप्तांक							

(घ) 1. परिणाम घोषणा की तिथि..... 2. घोषित परिणाम.....

(ड़) जिस कैटेगरी में परीक्षा दी (√) करें :– पूर्ण विषय/आंशिक उपलब्धि/रि–अपियर/अंक सुधार/अतिरिक्त विषय/आंशिक अंक सुधार/एस.टी.सी./सी.टी.पी.

(च) प्रार्थी के लेख का नमूना (विषय अनुसार अवश्य भरा जाये).....

.....

.....

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवेदन पत्र मेरे द्वारा स्वयं भरा गया है। आवेदन–पत्र में भरे गये विवरण सही हैं। इस आवेदन–पत्र के दोनों तरफ दिये गये निर्देशों को मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। इन्हें मैं स्वीकार करता/करती हूँ।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
दिनांक.....
पता.....
.....
.....
मोबाईल नं0.....

(कार्यालय प्रयोगार्थ)

परीक्षार्थी से निर्धारित शुल्क प्राप्त हो चुका हैं। परीक्षार्थी ने जिन विषय/विषयों में पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन पत्र दिया है, उनकी स्थिति निम्न प्रकार से बनती है।

(क) पुनर्मूल्यांकन उपरान्त अंकों की स्थिति निम्न प्रकार से बनती है :–

1. .....विषय में.....अंक से बढ़/घट कर.....अंक हो गये हैं।

2. .....विषय में.....अंक से बढ़/घट कर.....अंक हो गये हैं।

3. .....विषय में.....अंक से बढ़/घट कर.....अंक हो गये हैं।

महत्वपूर्ण निर्देशः

1. पूनर्मूल्यांकन शुल्क 1000/– रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका होगा।
2. पूनर्मूल्यांकन हेतू जमा कराया शुल्क वापिस नहीं दिया जायेगा यदि पूनर्मूल्यांकन उपरान्त किसी छात्र के 10 प्रतिशत या 10 प्रतिशत से अधिक अंक बढ़ जाते हैं तो 1000 रुपये में से 500 रुपये परीक्षार्थी को लौटाये जायेंगे।
3. अधूरा फार्म/बिना शुल्क प्राप्त फार्म सीधा रद्द कर दिया जायेगा।
4. पूनर्मूल्यांकन फार्म तथा शुल्क परिणाम घोषित होने की तिथि उपरांत 30 दिन के अन्दर–अन्दर बोर्ड कार्यालय में पहुंच जाना चाहिये। अन्तिम तिथि के पश्चात् फार्म किसी भी अवस्था में स्वीकार नहीं होगा। परिणाम की सूचना अथवा प्रमाण पत्र देरी से प्राप्त होने का इससे कोई सम्बन्ध नहीं होगा।
5. परीक्षार्थी को पूनर्मूल्यांकन की सुविधा केवल उत्तर पुस्तिका उपलब्ध होने की स्थिति में ही दी जायेगी। यदि किसी कारण से उत्तर–पुस्तिका उपलब्ध नहीं होती है तो परीक्षार्थी के प्राप्तांक सूची में दर्शाये गये अंक ही ठीक माने जायेंगे। ऐसी स्थिति में कार्यालय पूनर्मूल्यांकन करने के लिए बाध्य नहीं होगा और कार्यालय की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। ऐसी स्थिति में केवल शुल्क देय होगा।
6. परीक्षार्थी अपनी एक या एक से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं के पूनर्मूल्यांकन के लिए केवल एक ही फार्म भरेगा तथा इकट्ठा शुल्क जमा करवायेगा।
7. अंकित उत्तर पुस्तिका परीक्षार्थी या उसके माता–पिता एवं अभिभावक को किसी भी अवस्था में नहीं दिखाई जायेगी।
8. पूनर्मूल्यांकन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही केवल भिवानी स्थित न्यायालय में ही की जा सकेगी
9. जिन छात्रों के किसी विषय/विषयों में 90 प्रतिशत से अधिक अंक होंगे तो उस विषय में वे पूनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
10. पूनर्मूल्यांकन केवल लिखित परीक्षा में ही करवाई जा सकती है तथा बोर्ड के नियमानुसार ही पूनर्मूल्यांकन बारे कार्यवाही की जायेगी।
11. इन्टरनेट से अपने परिणाम की प्रति लेकर संलग्न करें।